न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला–सलूम्बर
बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस
प्रकरण संख्या 45/2021 प्रा.प.
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2021/55
उनवान

1. श्री केशरसिहं पिता धुलसिंह जी राजपुत उम्र बालिग निवासी डुंगावत फला, डाल तहसील सलूम्बर हाल जिला सलूम्बर (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

1. मेघसिंह पिता तखतसिंह जी राजपुत उम्र बालिग निवासी डुंगावत फला, डाल तहसील सलूम्बर हाल जिला सलूम्बर (राज.)

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 39 नियम 1 व 2 जा.दी.

–::निर्णय::–

दिनांकः– 24/12/2025

उपस्थितिः श्री राकेश प्रजापत अधिवक्ता–प्रार्थी
श्री गोपाल चौबिसा अधिवक्ता– विपक्षी

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 39 नियम 1 व 2 सी. पी. सी. का प्रस्तुत कर अंकित किया कि मौजा डुंगावतफला, डाल तहसील सलुम्बर मे प्रार्थी व उसके परिवार के संयुक्त रूप से खातेदारी काश्तकार होकर उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित है जिसका खाता संख्या 205 आराजी नम्बर/रकबा क्रमशः 5251/1/0.04, 5252/1/0.03, 5257/1/0.10, 5258/1/0.05, 5259/1/0.06, 5260/1/0.11 कुल किता 06 कुल रकबा 0.39 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि मेसे आराजी नम्बर 5251/1, 5252/1 आराजी जिसका रकबा 0.07 हैक्टेयर होकर कृषि भूमि मे प्रार्थी द्वारा पुर्व मे मकान इत्यादि बने हुए थे पर विपक्षी जो कि उपयुक्त के पास मे ही रहकर उक्त दोनो आराजीयो मे निरन्तर अतिक्रमण करने कि नियत से प्रार्थी को परेशान करता रहता है व धमकी देता रहा है उक्त दोनो आराजी में कब्जा करके कृषि भुमि हडप लुंगा। विपक्षी जिसने अपने धनबल व भुजबल से प्रार्थी कि भूमि पर बडी मात्रा मे अतिक्रमण करने के उद्देश्य से निर्माण सामाग्री इत्यादि डलवा रखी है। विपक्षी केवल मात्र एक अतिक्रमी होकर प्रार्थी जो कि खातेदार है उसको बेदखल करने पर आमदा है इसलिये मजबुरन मुझ प्रार्थी को मजबुरन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड रहा है। जबकी विपक्षी का उक्त कृषि भूमि से कोई सरोकार न होकर केवल मात्र अतिक्रमण करने कि नियत से प्रार्थी को जो कि खातेदार काश्तकार है को बेदखल करते पर आमदा है। प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता है इसी प्रकार वर्षो से वह उक्त भूमि पर कृषि कार्य करते चला आ रहा है इसलिये सुविधा सन्तुलन भी उसके पक्ष में होकर यदि उसे उक्त भूमि से बेदखल कर दिया जाता है। उसे ऐसी अपुरणीय क्षति होगी जिसे रूपये पैसे में आंकना संभव नहीं है इसलिये तीनों ही प्रथम दृष्ट्या सुविधा सन्तुलन एवं अपुरणीयक्षति प्रार्थी के पक्ष में होकर विपक्षीगण के विरूद्ध है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में व विपक्षी के विरूद्व निम्न आशय का आदेश प्रदान कि मुल वाद के निस्तारण तक

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि मे प्रार्थी के हिस्से में आयी कृषि भुमि पर विपक्षी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप निर्माण व अतिक्रमण इत्याद न स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावे।दोहराने वाद विपक्षी कि ओर से कोई नया निर्माण इत्यादि कर दिया जाता है तो विपक्षी स्वयं अपने खर्चे से हटावे।

प्रार्थना पत्र जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलवी हेतु नोटिस जारी किया गया। आदेशिका दिनांक 15–09–2021 को विपक्षी को जवाब पेश करने तक विवादित आराजी के मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधज्ञा से पाबंद किया गया। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल चौबिसा हाजिर आये। विपक्षी ने जवाब पेश कर अंकित किया कि हाल आ.नं. 5251/1 रकाब 0.04 हेक्टेयर एवं 5252/1 रकबा 0.03 हेक्टेयर कुल खेत 2 दो रकबा 0.07 हेक्टर का एक मात्र खातेदार काश्तकार एवं काबिज विपक्षी एवं उसका छोटा भाई दलपत सिंह अकेले है। शेष भूमि से मुझ विपक्षी का कोई लेना देना नही है। एवं उक्त भूमि साबिक आराजी नम्बर 2199 रकबा 4 चार बिस्वा एवं सा.आ.नं. 2200 रकबा 9 नौ बिस्वा एवं 2208 एवं 2207 से बना हुआ हाल आराजी है। उक्त चारो साबिक आ.नं. मुझ विपक्षी के खाते की है। अतः उक्त . भूमि में मुझ विपक्षी ने आज से 20 बीस वर्ष पूर्व एक पक्का मकान एवं मवेशी घर बनाया है तथा उक्त भूमि के चारो तरफ पक्की कोट बनी हुई है एवं लौहे की फाटक के ताला लगा हुआ है तथा उक्त भूमि में बने मकान में मैं विपक्षी अपने परिवार के साथ गत 20 वर्षों से निवास कर रहा हूँ एवं राशन कार्ड, वोटर लिस्ट, आधार आदि मुझ विपक्षी का इसी मकान का है। इसलिये उक्त आराजी नं. 5251/1, 5252/1 से प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है। इन दो आराजी पर प्रार्थी तथा इनके स्व. पिता धुलसिंह जी अथवा दादा डुंगरसिंह का आज तक कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। उक्त दोनों आराजी मुझ विपक्षी के खाते की साबिक आराजी से बनी हुई हाल आराजी है। हाल पैमाईश में अमीनों ने भुलवश अथवा प्रार्थी से नाजायज लाभ प्राप्त कर हाल आराजी नं. 5251/1, 5252/1 कुल खेत 2 रकबा 0.07 हैक्टेयर जो हाल पैमाइश में गलत खाते दर्ज हुआ है। बिना कब्जे प्रार्थी मुझ विपक्षी के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं है एवं सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है इसलिये प्रार्थी मुझ विपक्षी के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस मे अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी व उसके परिवारजन खाता नं. 205 की आराजी नम्बरों की कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार हैं तथा आराजी नं. 5251/1 व 5252/1 पर विपक्षी द्वारा अवैध अतिक्रमण व निर्माण की कोशिश की जा रही है, जिससे प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। अतः मुल वाद के निस्तारण तक विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जावे।

विपक्षी ने बहस मे अपने जवाब मे अंकित तथ्यो को दोहराया एवं कथन किया कि आराजी नं. 5251/1 व 5252/1 उसके खाते की भूमि है, जिस पर वह लगभग 20 वर्षों से पक्का मकान बनाकर परिवार सहित निवास कर रहा है तथा प्रार्थी का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

बहस मनन की गई। पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस, प्रस्तुत दस्तावेज एवं अभिलेखों पर विचार किया। मौजा डुंगावतफला पटवार हल्का डाल तहसील सलूम्बर जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 205 आराजी नम्बर 5251/1/0.04, 5252/1/0.03, 5257/1/0.10, 5258/1/0.05, 5259/1/0.06, 5260/1/0.11 कुल किता 06 कुल रकबा 0.39 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी होकर प्रार्थी का नाम दर्ज अंकित है। प्रार्थी का कथन है कि आराजी नं. 5251/1 व 5252/1 पर विपक्षी द्वारा अवैध अतिक्रमण व निर्माण की कोशिश की जा रही है, जिससे प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। विपक्षी का कथन है कि आराजी नं. 5251/1 व 5252/1 उसके खाते की भूमि है, जिस पर वह लगभग 20 वर्षों से पक्का मकान बनाकर परिवार सहित निवास कर रहा है तथा प्रार्थी का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है।

प्रकरण के तथ्यों एवं अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह विवाद उत्पन्न होता है कि वादग्रस्त भूमि पर वास्तविक कब्जा किसका है। मौके पर निर्माण अथवा अतिक्रमण की संभावना से विवाद की स्थिति और अधिक जटिल हो सकती है। न्यायालय का मत है कि वर्तमान अवस्था में यदि किसी पक्ष को निर्माण अथवा स्थिति परिवर्तन की अनुमति दी जाती है तो इससे अपूरणीय क्षति होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः विवादित भूमि की वर्तमान स्थिति बनाए रखना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः, प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा–संतुलन एवं अपूरणीय क्षति को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार उभयपक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि मौजा डुंगावतफला, तहसील सलूम्बर के वादग्रस्त आराजी नम्बर 5251/1 व 5252/1 की यथास्थिति मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक बनाए रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय दिनांक 24/12/2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर